राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

अपील संख्या 60 / 2020

<u>अनवान् मुकदमा</u>

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री गोविन्द सिंह चौहान C-198, चन्दरवरदाई नगर, H.M.T. के पिछे, तारागढ रोड, अजमेर		लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीम

प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

<u>निर्णय</u>

दिनांक 21.01.2021

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से तहसीलदार भीम उपस्थित।
3. मैने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 13.03.2020 के द्वारा तहसीलदार भीम सेऊवा अभिलेख से संबंधित 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नही मिलने के आक्षेप पर हस्तगत अपील पेश की गई हैं।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना / रिकार्ड ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित है साथ ही भू– अभिलेख राजस्व रिकॉर्ड के सम्बन्ध में वांछित सूचना का स्पष्ट अंकन नही होने से अपीलार्थी / आवेदक द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने पर वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जायेगी।
6. लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम के पत्रांक सू.अ. / 2021 / 912 दिनांक 05.01.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका हैं। कि वे कार्यालय समय में कार्यालय तहसीलदार भीम में उपस्थित होकर अभिलेख पर उपलब्ध एवं कार्यालय रिकॉर्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना नियमानुसार प्राप्त करें।
7. अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्ति के सात दिवस में कार्यालय समय में कार्यालय तहसीलदार भीम में उपस्थित होकर अभिलेख पर उपलब्ध एवं कार्यालय रिकॉर्ड का अवलोकन कर वांछित सूचना सशुल्क नियमानुसार प्राप्त करें।
8. अपीलार्थी ना ही पेशी पर उपस्थित हुआ और ना ही कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की हैं। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने के कारण अपील खारिज किया जाना समीचीन हैं।
9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती हैं।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द